न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 63/2024

अपीलांट

1. भंवरलाल पुत्र श्री ईशाराम
2. लिछमणराम पुत्र ईशाराम
3. बागाराम पुत्र ईशाराम
4. गोपीराम पुत्र ईशाराम
5. केसरदेवी पत्नि ईशाराम
6. नेनाराम पुत्र श्री केशराराम
7. पदमाराम पुत्र केशराराम
8. गुणेशाराम पुत्र केशराराम
9. कालूराम पुत्र केशराराम
10. गोकलराम पुत्र केशराराम
11. तेजाराम पुत्र केशराराम
12. अचलाराम पुत्र केशराराम जाति कुम्हार निवासी चाडी तहसील आऊ, जिला फलौदी

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. टीकुराम पुत्र श्री जावताराम फौत के कायम मुकाम
   1/1. बालू पत्नि टीकुराम
   1/2 हडमान पुत्र टीकुराम
   1/3 अणदाराम पुत्र टीकुराम
   1/4 मेघाराम पुत्र टीकुराम
   1/5 मूलाराम पुत्र टीकुराम
   1/6 सुरजाराम पुत्र टीकुराम
   1/7 राजो पुत्री टीकुराम
2. गुणेशाराम पुत्र जावताराम
3. भगवानाराम पुत्र श्री जावताराम जाति कुम्हार निवासी चाड़ी तहसील आऊ जिला फलौदी
4. श्री तहसीलदार फलौदी
5. बगाराम माता धापू
6. कालूराम माता धापु
7. गीता माता धापु
8. सायर माता धापु
9. सांवताराम माता वीरा
10. सीताराम माता वीरा
11. चुन्नीलाल माता वीरा
12. कानाराम माता वीरा
13. मूली माता वीरा जाति कुम्हार निवासी चाड़ी तहसील आऊ जिला फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व बंटवाड़ा क्रमांक 2013/03 दिनांक 14.01.2013 बनाराजगी आदेश तहसीलदार, फलौदी

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स सं. 1/1 ता 1/7 एवं 2,3 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री ललित जोशी उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 05 ता 13 की ओर सेः— अधिवक्ता विकास चौधरी।

रेस्पोडेण्टस संख्या 04 की ओर से :— तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 30/4/2025

1. यह अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत बविरूद्व बंटवाड़ा क्रमांक 2013/03 दिनांक 14.01.2013 बनाराजगी आदेश तहसीलदार, फलौदी प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम सियोलनगर के खेत खसरा संख्या 586 रकबा 184.15 बीघा व खसरा संख्या 586/2 रकबा 110 कुल खसरा 2 कुल रकबा 294.15 बीघा भूमि खातेदारी की थी। जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस संख्या 5 से 13 एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 का था। प्रशासन गांवो के संग कैम्प में आपसी सहमति से एक बंटवाड़ा निष्पादित करना बताया एवं उक्त बंटवाड़ा तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाकर अलग–अलग खाते कायम किये जिसमें अपीलांटस व रेस्पोडेण्टस संख्या 5 ता 13 के नाम से खसरा संख्या 586 रकबा 147.08 बीघा भूमि रखी गई व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 3 के नाम खसरा संख्या 586/2 रकबा 110 बीघा व खसरा संख्या 586/3 रकबा 37.07 बीघा कुल रकबा 147.07 बीघा रखी गई। उक्त बंटवाड़ा कायम किया तो नजरी नक्शा में गलत ढंग से तरमीम कर दी जिसके अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की गई। राजस्व नक्शा के अनुसार रोड के एक तरफ 143 बीघा व दूसरी तरफ 151 बीघा है इस प्रकार प्रकार हल्का पटवारी ने तहसीलदार के आदेशानुसार बंटवाड़ा नहीं कर आदेश क्रमांक 2013/03 दिनांक 14.01.2013 के अनुसार नहीं करने से उक्त बंटवाड़ा को निरस्त करवाने हेतु मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1 ता 1/7 तथा 2 ,3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित जोशी एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 05 ता 13 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास चौधरी ने वकालातनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार फलौदी से मूल बंटवाड़ा तलब किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस ने आपसी सहमति का बंटवाडा करते वक्त खेत के 1/2 हिस्से के अनुसार तरमीम करवानी चाही जो नजरी नक्शा के अनुसार सही नहीं होने से काबिले निरस्त है। तहसीलदार के आदेश क्रमांक 2013/3 दिनांक 14.01.2013 के अनुसार धारा 53 ए के तहत विभाजन पर सहमति व स्वीकृति दी थी व हल्का पटवारी को निर्देशित किया था कि नामान्तरकरण पूर्व पुनः मौके व रेकर्ड की विस्तृत जांच कर नामान्तरकरण अमल दरामद करे । उक्त आदेश के बाद हल्का पटवारी द्वारा मौके पर नही आकर व अपीलांट के समक्ष भूमि का नाप न कर कार्यालय में बैठकर ही भूमि का विभाजन कर दिया। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि नजरी नक्शा के अनुसार अपीलांट की

जिला कलक्टर
फलौदी

खातेदारी भूमि 147.09 बीघा नहीं है। इसलिए आलौच्य आदेश खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1ता 1/7 व 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवाड़ा आपसी सहमति से किया गया है। जिसमें उभयपक्षकार द्वारा सहमति दी गई है। अपील में प्रस्तुत तथ्य अनुसार प्रकरण रिकार्ड में गलत तरमीम का है, जिसकी शुद्वि के लिए अपीलांट को सक्षम उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में शुद्विकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था। परन्तु अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष बंटवाड़ा को निरस्त किये जाने की अपील प्रस्तुत की है। जो विधि अनुरूप नहीं होने पर खारिज फरमायी जावे। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील में देरी से पेश करने का उचित कारण भी नही दिया गया है। इसलिए अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमायी जावे।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा बंटवाडे के समय नजरी नक्शें में गलत ढंग से तरमीम नहीं करने को आधार मानते हुए बंटवाड़ा निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। अपीलांट के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि बंटवाड़ा के साथ नजरी नक्शा हिस्से से भिन्न होने की जानकारी दिनांक 29.04.2024 को हल्का पटवारी से मिलने पर हुई। इससे पूर्व जानकारी नहीं थी। अतः अपील में हुई देरी कण्डोन मानते हुए अपील स्वीकार कर बंटवाड़ा निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र के जबाब में रेस्पोडेण्टस के अभिभाषक ने तर्क किया है कि अपीलांट को अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश एवं तरमीम की बंटवाड़े की तिथि की पूर्व में जानकारी थी। अपीलाधीन आदेश बंटवाड़ा क्रमांक 2013/03 दिनांक 14.01.2013 सभी खातेदारों की सहमति एवं स्वीकृति से पारित किया गया है। सहमति से पारित किये गये आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं मनन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेण्टस टीकूराम, गुणेशाराम, भगवानाराम के द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा किये जाने का प्रार्थना पत्र तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चाड़ी की पहचान अंकित करते हुए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत बंटवाड़ानामें पर समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित है, जिनकी पहचान तत्कालीन सरपंच चाड़ी द्वारा की गई है। बंटवाड़ानामे पर पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट किये जाने के उपरान्त तहसीलदार फलौदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार बंटवाड़ानामे के साथ सहखातेदारो व पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस भी संलग्न किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश आपसी सहमति के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इसकी जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही थी। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सिद्व हो सके कि अपीलांट की जानकारी के बिना आदेश पारित किया गया हो। रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा नक्शा की तरमीम को चुनौती दी गई है। तरमीम शुद्वि के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित

जिला कलक्टर
फलौदी

सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बंटवाड़े की अपील से वांछित अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित किये गये बंटवाड़ा आदेश के विरूद्व कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि एव आधार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट को केवल बंटवाड़ा के आधार पर नक्शें में की गई तरमीम के विरूद्व आपत्ति है। यदि पारित बंटवाड़ा आदेश में अंकित सहखातेदारों में विभाजित की गई भूमि की तरमीम सही तरीके से नहीं की गई तो इसके लिए राहत तरमीम शुद्वि के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अतः उक्त विवेचना अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

30/04

हरजी लाल अटल

जिला कलक्टर, फलोदी